



2026: AHC: 3147

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या-41665 सन् 2025

दिलशाद अहमद उर्फ मुन्ना

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक की ओर से अधिवक्ता

:- नदीम अहमद, पवन कुमार राव

विपक्षी पक्ष की ओर से अधिवक्ता

:- जी.ए.

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति श्री अशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य -प्रत्यर्थियों की ओर से विद्वान ए० जी० ए० को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत वर्तमान जमानत प्रार्थना-पत्र अभियुक्त-आवेदक दिलशाद अहमद उर्फ मुन्ना की ओर से, पुलिस थाना-घूरपुर, जनपद-प्रयागराज में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/5(1) के अंतर्गत पंजीकृत वाद अपराध संख्या 349 सन् 2025 में जमानत पर उन्मोचित किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त -आवेदक निर्दोष है। उसे उक्त वाद अपराध संख्या में मिथ्या रूप से फंसाया गया है तथा वह दिनांक 18.10.2025 से कारागार में निरुद्ध है। आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि वर्तमान वाद में प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री चिरौंजीलाल पटेल के द्वारा दर्ज कराई गई है, जो न तो पीड़ित व्यक्ति हैं और न ही पीड़ित व्यक्ति के संबंधी अथवा निकटतम परिवार के सदस्य हैं, अतः कथित प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर अभियोजन की कार्यवाही का प्रारंभ किया जाना

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अक्षम्य है। अपने तर्कों को पुष्ट करने हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 17.10.2025 के एक नवीन निर्णय **राजेन्द्र बिहारी लाल एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य**, प्रतिवेदित 2025 लॉसूट (एस०सी०) 1391 में प्रतिपादित सिद्धांतों पर निर्भरता व्यक्त की गई है, जिसमें उनके आधिपत्य ने उक्त निर्णय के अनुच्छेद संख्या 117 में निम्नानुसार व्यवस्था दी है:

“ संशोधित किए जाने से पूर्व की धारा 4 की वैधानिक योजना के साधारण अवलोकन से यह स्पष्ट है कि कथित अवैध धार्मिक परिवर्तन के अपराध के लिए अभियोजन की कार्यवाही का प्रारंभ परिसीमित है और उसे केवल पीड़ित व्यक्ति के कहने पर अथवा वैकल्पिक रूप से उसके निकटतम परिवार के सदस्यों या रक्त संबंधियों द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है। हमारी राय में, इस प्रकार के प्रतिबंध का अंतर्निहित तर्क इस मान्यता में निहित है कि किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने या प्रचार करने की स्वतंत्रता, और साथ ही अपनी पसंद के विश्वास को त्यागने या अपनाने की स्वतंत्रता, क्रमशः संविधान के अनुच्छेद 21 और 25 के अंतर्गत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का एक अंग है। यह स्वतंत्रता मानवीय अंतःकरण और निर्णयात्मक स्वायत्तता के अंतरतम क्षेत्र में स्थित है। यदि अजनबियों अथवा असंबद्ध तृतीय व्यक्तियों के कहने पर आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ करने की अनुमति दी जाए, तो यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के इस संरक्षित क्षेत्र में एक अस्वीकार्य हस्तक्षेप होगा और इससे तुच्छ अथवा प्रेरित वादों का मार्ग प्रशस्त होगा, जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं धर्म की स्वतंत्रता के संवैधानिक संरक्षण का ह्रास होगा। जैसा कि उपरोक्त रूप से विचारित है, इस न्यायालय ने शफीन जहां (उपरोक्त) के वाद में यह रेखांकित किया है कि किसी धर्म अथवा साथी का चयन करने का अधिकार व्यक्ति की गरिमा एवं स्वायत्तता के लिए नैसर्गिक है।

उसका कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है तथा जमानत पर उन्मोचित किए जाने की स्थिति में उसके न्याय की प्रक्रिया से पलायन करने अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अतः जमानत की प्रार्थना की गई है।

इसके विपरीत, विद्वान ए० जी० ए० ने आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध किया, किंतु उपरोक्त तथ्य का खंडन नहीं कर सके।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों , आरोपों की प्रकृति , दोषसिद्धि की स्थिति में दण्ड की गंभीरता तथा सहायक साक्ष्यों की प्रकृति , साक्षियों से छेड़छाड़ की युक्तिसंगत आशंका तथा प्रथम दृष्टया प्रकरण पर विचार करते हुए , किंतु प्रकरण के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना , जमानत का एक प्रकरण निर्मित होता है।

तदनुसार, जमानत प्रार्थना-पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

उपरोक्त वर्णित वाद-अपराध संख्या में संलिप्त अभियुक्त-आवेदक , दिलशाद अहमद उर्फ मुन्ना को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान राशि के एक व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो विश्वसनीय प्रतिभु को निष्पादित करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, जमानत पर उन्मोचित किया जाए:

- i. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।
- iii. आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/ उन्हें भयभीत नहीं करेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।
- iv. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक एवं हर तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगा , जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान न कर दी जाए।

उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में , अधीनस्थ न्यायालय को उसकी जमानत निरस्त करने की कार्यवाही हेतु स्वतंत्रता होगी।

(आशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

7 जनवरी, 2026

रवि प्रकाश



Translated Version, Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।